तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/08/2021	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष गण। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट नीचे खां द्वारा पैरोकारी नहीं करने से उक्त अपील अदम पैरवी में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15/07/2019 को अदम पैरवी में खारिज कर दी गई इस वजह से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 1 व 22 सपठित धारा 141, 151 CPC को अपील की भांति सुमार करते हुए उसमें वर्णित आधारों पर बहस सुनना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 1 व 22 सपठित धारा 141, 151 CPC को अपील में सुमार करते हुए प्रार्थीगण को अपीलांट प्रतिस्थापित करते हुए सुनवाई का मौका दिया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:— CCC 2019(3) (S.C.) Page 810 CCP, 1908 Page - 340 RRT 2017(2) Page - 1409	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जारी हुक्म की तारीख जारी हुए
10/08/2021	उत्तरदाता संख्या 02 के कायम मुकाम की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत आवेदन प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने पेश किया जिसको अपील रेस्टोर करवाने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ आदेश मूल अपील को अदम हाजरी में खारीज करते हुए पारित किया गया जिसको रेस्टोरेशन करवाने का अधिकार अपीलांट को ही है। न्यायालय हाजा द्वारा जो अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया वो विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारीज फरमाया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। हस्तगत पत्रावली में पिछली आदेशिकाओं में प्रार्थीगण को अपीलांट से संबोधित किया गया उसे प्रार्थीगण पढ़ा जावे। हस्तगत पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांत का गंभीरतापूर्वक मनन करते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील में अपनी उपस्थिति दिनांक 19/06/2012 को दर्ज करवाई तथा अपनी तरफ से दिनांक 03/07/2012 क्रॉस ऑब्जेक्शन पेश किया जो अपील में मांगी गई रिलिफ के समान रिलिफ को धारित करते हुए पेश किया गया। प्रार्थीगण की तामीली से 30 दिवस के भीतर उक्त ऑब्जेक्शन पेश किया गया जो अन्दर मियाद था। न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील को अपीलांट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया गया जिससे प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया प्रतीत होता है। प्राकृतिक न्याय एवं प्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... जारी ...
	आलोक में प्रार्थीगण का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी के क्रास ऑब्जेक्शन को अपील के रूप में स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपीलांट के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। अपील पुनः पुराने नंबर पर दर्ज हो। पत्रावली पेशकार स्वीकार नंबर के मेल होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।	